अध्याय 11

समानता के लिए संघर्ष

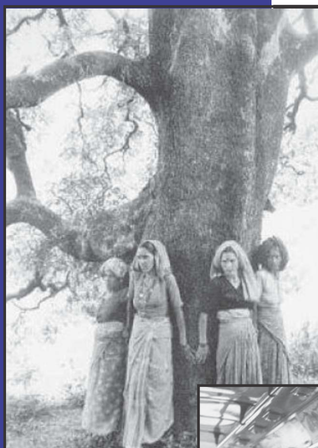

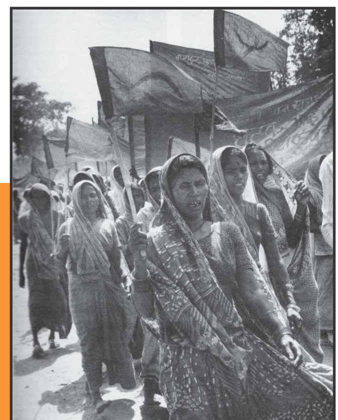

अब तक हम लोगों ने पुस्तक के सभी अध्यायों को पढ़ा। पुस्तक के प्रथम अध्याय में हमने देखा कि पूनम और ज्योति, मतदाता पहचान-पत्र बनवाने की लाइन में खड़े थे। वहाँ सभी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव – जाति, धर्म, रंग-रूप, अमीर-गरीब आदि, एक कतार में खड़े थे। उसी प्रकार बाल संसद की चुनावी प्रक्रिया यह दर्शाती है कि सभी बच्चों को मत देने का समान अधिकार है। वहीं दूसरी ओर इसी पाठ में रमा और शालिनी के बीच हम असमानता को देखते हैं।

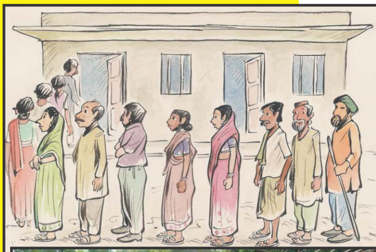

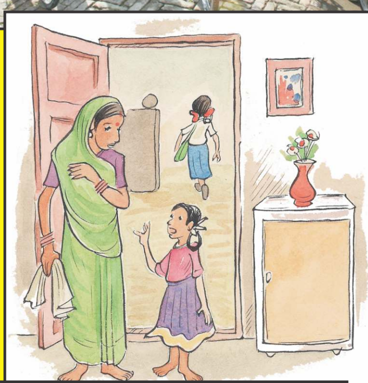

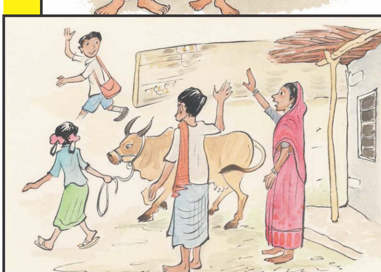

इसी पुस्तक के दूसरे अध्याय में हमने विधायक के चुनाव में व्यस्क व्यक्तियों को मतदान करते हुए देखा। यह मत हम समान रूप से देते हैं। किसी के मत (वोट) का महत्व दूसरे से कम या ज्यादा नहीं होता है। इसी पाठ में सरकार द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों जैसे– मध्याह्न भोजन, पोशाक योजना तथा साइकिल योजना में समानता के भाव को देखा। वहीं स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधा आम आदमी को अभी नहीं मिल पा रही है, जो असमानता को बढ़ाता है।

जावेद एवं शबाना को विकसित होने के समान अवसर प्रदान किये गये। वहीं दूसरी ओर श्यामा चाहती है कि वो पढ़े-लिखे, खेल-कूद में भाग ले, परंतु उसके परिवार ने इसकी इजाज़त नहीं दी। गुड़िया, पूजा एवं अन्य महिलाओं के संगठित प्रयास से समाज में बदलाव के संकेत दिखते हैं।

हमने मीडिया और लोकतंत्र में पढ़ा कि मीडिया सरकार द्वारा घोषित नीतियों, कार्यक्रमों को जनता तक पहुँचाती है और उनका विचार बनाने में मदद करती है। दूसरी ओर आम आदमी के दैनिक जीवन की महत्त्वपूर्ण समस्याओं पर ध्यान नहीं देती है। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के बाजारों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। हमने यह भी देखा कि रामजी, गाँव का छोटा दुकानदार बहुत कम लाभ कमा पाता है और बड़े व्यवसायी कहीं अधिक। यही विसंगति विज्ञापन के प्रसारणों में भी पायी जाती है। जहाँ एक ओर बड़ी-बड़ी हस्तियों से जुड़े विज्ञापन जाते हैं तो दूसरी ओर आम आदमी से संबंधित समस्याओं एवं छोटे-छोटे व्यापारियों के हितों को उपेक्षित किया जाता है।

इस पुस्तक के विभिन्न अध्यायों से एक बात

सामने आयी कि हम समानता यानी समान अवसर पाने की इच्छा रखते हैं। लोग सोचते हैं कि समान व्यवहार होना चाहिए। किन्तु, किसी न किसी रूप में असमानता नज़र आती है।

कई बार हमें अपनी उम्मीदों से निराश भी होना पड़ता है। परंतु हमने यह भी जाना कि लोग सवाल पूछते हैं, आवाज़ उठाते हैं, न्याय के लिए संघर्ष का रास्ता ढूँढ़ते हैं और समानता की इच्छा को बनाये रखते हैं। इसका सबसे सटीक उदाहरण गंगा बचाओ आन्दोलन है जहाँ मछुआरों ने अपने त्रस्त जीवन को संघर्ष के बदौलत खुशियों में बदल दिया।

जीवन-दायिनी गंगा के लिए संघर्ष

कठवा की नैय्या बनी है हो मलहवा,
गंगा के पार दे उतार।
झपक-झपक चले तोहर नैय्या हो मलहवा,
आयी पूरबईया बयार।
गंगा के पार भैया, लागे न तोर नैय्या।
भुखवा से चले न पतवार।
तीन रुपया भैया गंगा की कमइयाँ
दो रुपया लिये ज़मींदार।
बिलख–बिलख के बचवा रोवे,
पत्नी रोवे जार-बेज़ार।
दूषित जल भैया, भागे मछरिया,
गंगा के नाम पर चले ठीकेदरिया।
मछुआ सब हौले अब बेकार।
भाई-बहन मिली कर अब लड़इयाँ,
गंगा पर हक है हमार।
कत्ते ज़मींदारी कानून से टूटल।
हमर नसीबा काहे हौ फूटल।
सोचे न कोई सरकार।

('गंगा को अविरल बहने दो' से साभार) — कृष्ण चंद्र चौधरी

गंगा अतीत काल से बहती हुई अपने प्रवाह क्षेत्र के लिए जीवनदायिनी बनी हुई है। तभी तो गंगा के मैदानी इलाकों में सभ्यता काफी फली-फूली। बिहार के लिए गंगा जीवनदायिनी रही है। गंगा आधारित सिंचाई, यातायात तथा मछली व्यवसाय पर जीवन-यापन करने वालों की एक बड़ी जमात बिहार में है। दबंगों एवं ज़मींदारों की नज़रें इस कारण गंगा पर गयीं। मछली मारने वाले मछुआरों, नाव चलाने वाले मल्लाहों आदि से मछली और नौका चालन हेतु रकम वसूलने का प्रचलन शुरू किया गया। पुराने समय से चली आ रही व्यवस्था आज़ादी के बाद भी कायम रही जो आगे चलकर ठेकेदारी का रूप ले ली।

मछुआरों ने सहकारी समिति को गठित किया। बन्दोबस्ती ली। पहले की अपेक्षा और अधिक मछुआरों और मल्लाहों का शोषण शुरू हो गया। ठेकेदारों और सहकारी समिति से बड़े मछुआरों ने पट्टे पर घाट एवं नदी का क्षेत्र निर्धारित कर लिया। वे आगे छोटे मछुआरों और फिर उससे छोटे मछुआरों को देने लगे। इस प्रकार शोषण कई प्रकार से होने लगा। मल्लाहों और मछुआरों में बेचैनी बढ़ने लगी। उनकी रोटी दिन प्रतिदिन छिनती जा रही थी।

इसी बीच सरकार ने गंगा नदी पर फरक्का नामक स्थान पर एक बांध का निर्माण कर दिया। गंगा में समुद्र से मछलियों एवं जीरे का बहाव (आना) बन्द हो गया। परिणामतः गंगा में मछलियों की अप्रत्याशित कमी हो गयी। मछुआरों के सामने भूखों मरने की नौबत आ गयी।

इसी दौर में गंगा के दोनों किनारों पर फैक्टरियाँ लगीं। इनसे निकलने वाले कचरे से गंगा और भी प्रदूषित हो गयी। इस प्रदूषण से मछलियाँ न केवल मरने लगीं बल्कि उनकी प्रजनन क्षमता भी कम हो गयी। मरता क्या नहीं करता। जीने के न्यूनतम आधारों की समाप्ति से त्रस्त मछुआरों ने अपने हक के लिए संघर्ष का ऐलान 1982 में कहलगाँव के कागजी टोला से किया। संघर्ष हेतु लिए गए संकल्पों में गंगा से जलकर समाप्ति, जाति प्रथा तोड़ने, शराबखोरी बन्द करने, महिलाओं को बराबर की हकदारी आदि प्रमुख थे। संघर्ष के क्रम में मछुआरों ने कई संगठनों का निर्माण किया। धरना-प्रदर्शन, लम्बी नौका यात्रा, नशाबन्दी शिविर तथा महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के शान्तिपूर्ण प्रयास किए गए। ऐसे प्रयास के सार्थक प्रभाव पड़ने लगे। संघर्ष का विस्तार बिहार में गंगा के दोनों किनारों पर हो गया। इस आन्दोलन को दबाने का

प्रयास सहकारी समितियों तथा ठेकेदारों द्वारा किया जाने लगा। किन्तु मछुआरों और मल्लाहों के शान्तिपूर्ण संघर्ष को दमनकारी प्रयासों से कुचला नहीं जा सका। यह संघर्ष इतना सशक्त एवं प्रभावशाली रहा कि आठ-नौ वर्ष पूरा होते-होते, वर्ष 1990 में गंगा पर सुल्तानगंज से पीरपैंती तक मुगलकाल से चली

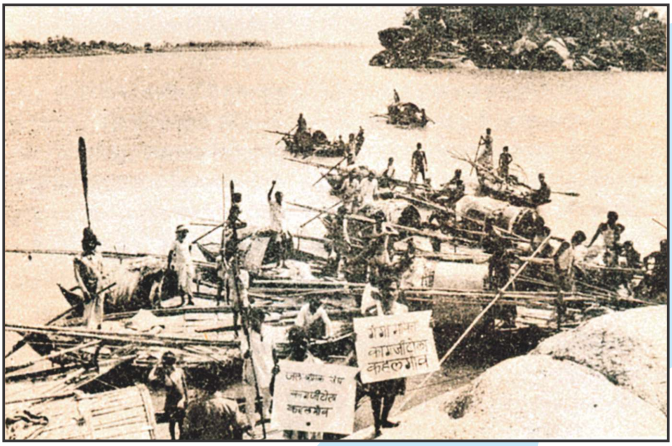

आ रही ज़मीनदारी व्यवस्था को सरकार ने समाप्त कर दिया। पुनः ठीक एक वर्ष के भीतर ही 1991 में सरकार ने राज्य को जलकर से मुक्त करने की घोषणा कर दी। इससे सम्बन्धित कानून बना दिये गये। आज गंगा नदी के किनारे बसे मछुआरों को किसी भी प्रकार का कर नहीं देना पड़ता है। संघर्ष के परिणामस्वरूप उनका शोषण बन्द हो गया तथा आजीविका का अधिकार प्राप्त हुआ।

1. मछुआरे किन बातों से परेशान थे? उन्होंने इसके लिए क्या किया?
2. क्या कुछ समस्याएँ आज भी बनी हुई हैं? इनके लिए क्या करना चाहिए?

?

पुस्तक के विभिन्न अध्यायों में हमने कई बार यह पढ़ा कि असमान व्यवहार से लोगों की गरिमा को किस तरह ठेस पहुँचती है। उन्हें बुरा लगता है क्योंकि वह समान व्यवहार की अपेक्षा करते हैं। लोगों के मन में विचार उठता है कि समान व्यवहार क्यों नहीं होता। समाज ऐसा क्यों है? बदलाव कैसे हो सकते हैं? कहीं-कहीं आक्रोश जन्म लेता है। प्रभावित लोग संगठित होने लगते हैं तथा किये जा रहे उपेक्षापूर्ण व्यवहार पर अपनी आवाज़ उठाकर संघर्ष आरंभ करते हैं।

इतिहास की नज़र से

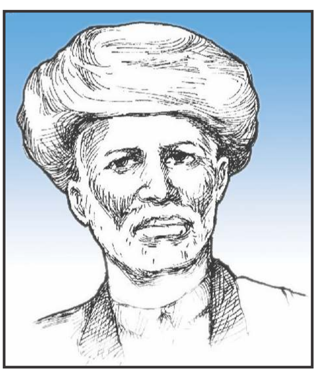
ज्योतिबा फूले

भारतीय समाज जातियों एवं धर्मों में बंटा है। यहाँ ऊँच-नीच, जाति-प्रथा, छुआ-छूत, जैसी कई कुरीतियाँ पायी जाती रही हैं। महिला अशिक्षा और उनके साथ असमान व्यवहार तथा समाज में धन का असमान वितरण जैसी समस्याएँ आज भी विद्यमान है। उपरोक्त असमानता के विरुद्ध समय-समय पर आन्दोलन भी हुए हैं। इस क्रम में ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज के बैनर तले दलित जातियों के उत्थान हेतु प्रभावशाली आन्दोलन किया। महात्मा गाँधी, डॉ० राम मनोहर लोहिया तथा लोकनायक जयप्रकाश नारायण भी जाति-प्रथा एवं छुआ-छूत जैसी कुरीतियों के खिलाफ निरंतर संघर्षरत रहे।

सावित्री बाई फूले ने महिला शिक्षा एवं समानता के लिए महत्त्वपूर्ण संघर्ष किया। संविधान द्वारा समानता के अधिकार दिये जाने में डॉ॰ भीमराव अम्बेदकर की प्रमुख भूमिका रही है।

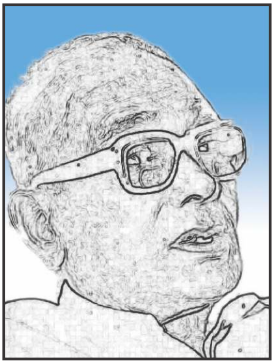

लोकनायक जयप्रकाश नारायण

विनोबा भावे के द्वारा भूमिहीन किसानों को भूमि उपलब्ध कराने हेतु किए गए भूदान आंदोलन को भी कई भूपतियों द्वारा समर्थन दिया गया। इतने संघर्षों के बावजूद अभी भी ढेरों ऐसी समस्याएँ हैं जिनके खिलाफ लड़े जाने की ज़रूरत है। इसलिए कहा जाता है– ''हौसले बुलंद हो तो फासले करीब हैं, हो जिगर में दम अगर तो मंजिलें क्या दूर हैं''। ऐसे और भी संघर्ष एवं आंदोलन का वर्णन हम अगले वर्ग में जानेंगे।

अभ्यास

1. अपने विद्यालय या आस-पास में समानता तथा असमानता दर्शाने वाले दो-तीन व्यवहारों को लिखें।
2. क्या साइकिल वितरण, पोशाक वितरण, मध्याह्न भोजन वितरण, छात्रवृति वितरण के समय असमान व्यवहार का भाव झलकता है ? कैसे।
3. अपने इलाके के संदर्भ में कुछ संघर्ष के मुद्दों को बताएँ।
4. अपने क्षेत्र के कुछ प्रदर्शनों या आन्दोलनों में से किसी एक की चर्चा करें।